रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052021-226895
CG-DL-E-06052021-226895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1650] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 6, 2021/वैशाख 16, 1943
No. 1650] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 6, 2021/VAISAKHA 16, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2021

का.आ. 1777(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48)की धारा 3 ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में (बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित),केंद्र सरकार,जो संतुष्ट होने के बाद। सार्वजनिक उद्देश्य, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है,जम्मू और कश्मीर राज्य में अनंतनाग जिले में एनएच-44 पर Km. 246.2 से Km. 249.7 तक आपातकालीन लैंडिंग खिंचाव के लिए ATC टॉवर के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करता है।

आधिकारिक गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर,उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, धारा 3 सी की उपधारा (1)के तहत पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति करेगा।

इस तरह की हर आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी,जो लिखित रूप में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है और इस आधार को निर्धारित करेगा और सक्षम प्राधिकारी, किसी व्यक्ति या कानूनी चिकित्सक द्वारा,या तो व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा,या नहीं। इस तरह की सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और इस तरह की आगे की पूछताछ करने के बाद,यदि कोई हो,जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझता है,आदेश द्वारा या तो आपत्तियों की अनुमति देता है या अस्वीकार करता है।

उक्त अधिनियम की धारा 3 सी की उपधारा (2)के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

उनकी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की योजना और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इसका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

अनुसूची

भूमि का संक्षिप्त विवरण एनएच 44 पर भूमि के खंड 246.2 से किमी. 249.7 तक एनएच 44 में गिरने वाली संरचनाओं के साथ या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण जम्मू और कश्मीर।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			**जिले का नाम: अनन्तनागा**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
तालुक का नाम: बिजबेहरा					
गांव का नाम: जबलीपोरा					
1	51 Min	निजी	कृषि	0.3257150(हेक्टेयर)	0.3257150
2	52 Min	निजी	कृषि	0.0519910(हेक्टेयर)	0.0519910
गांव का नाम: सिमथन					
1	1191	निजी	कृषि	1.0223930(हेक्टेयर)	1.0223930
			कुल	**1.4001**	**1.4001**

[फा. सं. 02/NH-44/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2021

S.O. 1777(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction of ATC Tower for Emergency landing Stretch from Km. 246.2 to Km. 249.7 on NH-44 in the district of ANANTNAG in the state of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, DEPUTY COMMISSIONER ANANTNAG in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH44 in the stretch of land from Km. 246.2 to Km. 249.7 on NH44 (Additional Land required for construction of ATC tower for Emergency landing Stretch) in the district of ANANTNAG in the UT of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR		**District: ANANTNAG**			
Sl.No.	**Survey / Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectare)**
Taluk: Bijbehara					
Village: Jablipora					
1	51 Min	Private	Agricultural	0.3257150(Hectare)	0.3257150
2	52 Min	Private	Agricultural	0.0519910(Hectare)	0.0519910
Village: Semthan.					
1	1191	Private()	Agricultural	1.0223930(Hectare)	1.0223930
			Total	**1.4001**	**1.4001**

[F. No. 02/NH-44/3A]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.05.06 21:02:37 +05'30'